

राजस्व लोक अदालत
न्याय आपके द्वार 2018

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सागवाडा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत, न्याय आपके द्वार/केम्प कोर्ट)

गोपाल लाल

नाम पीठासीन अधिकारी - श्री मोहनलालसिंह (आर०ए०ए०ए०)

उपखण्ड अधिकारी सागवाडा

प्रकरण संख्या / / 2018

दायर दि० 14-5-18

फैसल दि० 14-5-18

श्री सुवीया पितावाल्जी
गाभरी वमारा

अनवान

बनाम


भूमिधारी लक्ष्मीलाल

(वादी)

(प्रतिवादी)

वादी श्री सुवीया पितावाल्जी गाभरी ने वाद प्रस्तुत कर
मोजा वमारा के खाता नम्बर 400 जमाबन्दी सं० 2073-76
में अंकित स्वयं/पिता का नाम सुवीया पितावाल्जी
गलत दर्ज होने से संशोधन के लिए प्रार्थना पत्र आज शिविर में प्रस्तुत किया है
। प्रार्थना पत्र राजस्व वाद प्रकृति का होने से राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर कर
रिपोर्ट पटवारी/भूमिधारी प्राप्त की गई रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का सही नाम सुवीया
पितावाल्जी गाभरी है लेकिन उक्त खाते में गलत नाम सुवीया
पितावाल्जी गाभरी दर्ज होने से संशोधन के लिए अभिशंसा की गई है ।
प्रार्थी द्वारा स्वयं/पिता का सही नाम सुवीया पितावाल्जी
गाभरी वमारा होने के सम्बन्ध में राशनकार्ड/आधार कार्ड/मतदाता
पहचान पत्र एवं पंचायत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है ।

अतः रिपोर्ट भूमिधारी एवं प्रस्तुत दस्तावेज अनुसार वादी का वाद
स्वीकार किया जाता है । तहसीलदार दसागवाडा/गलियाकोट को आदेश
दिया जाता है कि मोजा वमारा की जमाबन्दी संवत् 2073-76
के खाता संख्या 400 में खातेदार/सहखातेदार का अंकित गलत
नाम सुवीया पितावाल्जी में संशोधन कर सही नाम
सुवीया पितावाल्जी दर्ज रेकार्ड किया जावे ।
निर्णयानुसार पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल शुमार
हो नम्बर से कम हो ।


उपखण्ड अधिकारी
सागवाडा